EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1801—1812

Dated: 8-12-2012

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 293.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उद्योग और पूर्ति मंत्रालय (उद्योग विभाग) मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष और पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती नियम, 1964 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी और निदेशक और सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (प्रधान पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और निदेशक और सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता,—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची		
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथव अचयन पद	" न निर्मा जिल्ल जान वाल व्यक्तिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
 प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी और निदेशक 	म 1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 4, 37400— 67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.	लागू नहीं हो	
					टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित कर के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थि से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत व गई अंतिम तारीख होगी । (न कि व अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मी राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
धि भर्ती किए जाने व क्षिक और अन्य अह		के † अर्ह	ने भर्ती किए जाने वाले लिए विहित आयु औ ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों व होंगी या नहीं	र शैक्षिक	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(7)		(8)		(9)
वश्यक :					(9)

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री ; और

(iii) किसी लोक या संस्थागत पुस्तकालय में कार्य (प्रशासनिक अनुभव सहित) का 12 वर्ष का अनुभव जिसमें पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का अनुभव शामिल है।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित

(7)

जनतातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तयों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भवना नहीं है।

वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या सूचना विज्ञान या प्रलेखीकरण विज्ञान में डाक्ट्रेट डिग्री।

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों, लोक उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या संविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600—39100 रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु. में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा प्रदान की है; या
 - (iii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600— 39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु. में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा प्रदान की है ; और

(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अविध (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में) :

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. सचिव्, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

—अध्यक्ष

			(4)		
8 1 12	(12)				
2. संयुक्त सा एवं संवर्ध	चिव (स्थापन), औद न विभाग		सदस्य		(A)
					# E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वा समय-समय पर जारी किए ग अनुदेशों या आदेशों के अनुसा सरकारी सेवकों के लिए पांच व तक शिथिल की जा सकती है।
					टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
Y	(7)		(8)		(9)
भावश्यक : i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान ा वाणिज्य में मास्टर डिग्री ।		नहीं		 धे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष ।	
ii) किसी मान्यताः	प्राप्त विश्वविद्यालय र	प्ते पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री ;			
	ा संस्थागत पुस्तकाल ा 3 वर्ष कार्य करने		9		
प्पण 1: अर्हताएं उन कारणों के लि	, अन्यथा सुअर्हित ए जो लेखबद्ध किए गर शिथिल की जा स	अभ्यर्थियों की दशा जाएं कर्मचारी चृयन			

(7)

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तयों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भवना नहीं है।

वांछनीय: हिंदी में कार्य करने का ज्ञान।

(10)

प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (11)

प्रोन्नति :

ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने (वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.) पांच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा विहित आवश्यक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नित के लिए अर्हक सेवा की संगणना में तारीख 1 जनवरी 2006 (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस लाभ का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के ग्रेड वेतन या वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं: या
- (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य के पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है: और

(11)

(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियक्ति पर नियक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए तारीख 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है), से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलय एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस लाभ का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के ग्रेड वेतन या वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं ।

(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और सीधे भर्ती की पुष्टि के संबंध में) :-		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है
 संयुक्त सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग 	—अध्यक्ष	
 उप सचिव/निदेशक (स्थापन), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग 	—सदस्य	
 प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी और निदेशक औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग 	—सदस्य	
		फा. सं. ए-12018/5/2007-ई-1

ललित कमार शर्मा, अवर सचिव

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2012

G.S.R. 293.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Industry and Supply (Department of Industry) Chief Librarian and Librarian (Recruitment) Rules, 1964, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the recruitment to the posts of Principal Library and Information Officer and Director and Assistant Library and Information Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion under the Ministry of Commerce and Industry, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion (Principal Library and Information Officer and Director and Assistant Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2012.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the Pay band and Grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (13) of the schedule aforesaid.
 - 4. Disqualifications.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order in consultation with the Union Public Service Commission and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE		
Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Principal Library and Information Officer and Director	*Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-4, pay scale Rs.37400—6700 plus Grade Pay Rs. 8700	Not applicable 0	Not exceeding fifty years. Note 1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not to the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for			
direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)	(8)	(9)	
Essential:	Not applicable	One year for direct recruits.	
(i) Master's Degree in Library Science or Information Science or Documentation Science of a recognised University;			
(ii) Master's Degree in Economics or Commerce or Statistics of a recognised University; and			
(iii) twelve years' experience (including administrative experience) of working in a public or institutional library including experience in computerisation of the library.			
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.			
Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the			
requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			
the posts reserved for them. Desirable: Doctoral degree in Library Science or Information Science	In case of recruitment by prome	otion or deputation or absorption	
the posts reserved for them. Desirable: Doctoral degree in Library Science or Information Science or Documentation Science of a recognised University. Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be	In case of recruitment by promegrades from which promotion	on or deputation or absorption	

(11)Note: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications. If a Departmental Promotion Committee exists what is its Circumstances in which Union Public Service composition Commission is to be consulted in making recruitment (12)(13)Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation):— Consultation with Union Public Service 1. Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion — Chairman Commission necessary on each occasion. 2. Joint Secretary (Establishment), Department of Industrial — Member Policy and Promotion (1)(2)(3)(4)(5) (6)2. Assistant 1*(2012) General Central Pay Band-2, Selection Not exceeding thirty years. Library and *Subject Service, Group 'B', pay scale Note 1: Relaxable for Information to variation Gazetted. Rs.9300-34800 Government servants up to Officer dependent Non-Ministerial plus Grade Pay five years in accordance on Rs. 4600 with the instructions or workload. orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar . Islands Lakshadweep). (7)(8) (9)Essential: No Two years for direct recruits. (i) Master's degree in Arts or Science or Commerce of a recognised University;

4641 CRI/12-3

(7)

- (ii) Bachelor's Degree in Library Science or Information Science or Documentation Science of a recognised University; and
- (iii) three years' experience of working in a public or institutional library, including experience in computerisation of the library.

Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2.—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable:

Working knowledge of Hindi.

(10)

failing both by direct recruitment.

By promotion failing which by deputation,

(11)

Promotion:

Library and Information Assistant (Pay band-2, pay scale of rupees 9300-34800 with grade pay rupees 4200) with five years' regular service in the grade and has successfully undergone mandatory training prescribed by the Department. Note 1.—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.—For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure, based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

Deputation:

Officers under the Central Government:-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; OR

(11)

- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2, pay scale of rupees 9300—34800 with grade pay rupees 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.

Note 1.—Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 2.—For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay and pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay and pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)		
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation of direct recruit):— 1. Joint Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion	—Chairman,	Consultation with Union Public Service	
 Deputy Secretary/Director (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion 	—Member.		
 Principal Library and Information Officer and Director, Department of Industrial policy and Promotion 	—Member.		

[F. No. A-12018/5/2007-E-I]

L. K. SHARMA, Under Secy.